HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

JASTHAN HIGH COL

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 7859/2023

Goverdhan Singh S/o Bharat Singh, Aged About 40 Years, R/o Near Narsingh Sagar Talab, Sarvodya Basti, Bikaner (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

- 1. State Of Rajasthan, Through Pp
- 2. Rajpal Singh S/o Vijay Singh, Aged About 55 Years, R/o Street No. 16, Nayi Aabadi, Hanumangarh Town, Then Commercial Tax Officer, Anti Evasion, Circle-Bikaner, Commercial Taxes Department, Bikaner.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajak Khan

For Respondent(s) : Mr. Arun Kumar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT <u>Judgment</u>

Reserved on 03/05/2024 Pronounced on 14/05/2024

- 01. योग्य अधिवक्ता याची ने यह याचिका अन्तर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2023 से व्यथित होकर पेश की गई है।
- 02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि याची के विरूद्ध स्टेट बनाम गोवर्धन सिंह मुकदमा नं. 102/2010 न्यायालय मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, बीकानेर के यहां लंबित था, जिस प्रकरण को न्यायालय मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, बीकानेर से अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने हेतु याची की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 408 सीआर.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। जिस पर बहस सुनी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2023 के आदेश के द्वारा प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, बीकानेर के यहां से प्रत्याहरित कर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट संख्या 3, बीकानेर को विधि अनुसार सुनवाई हेतु अंतरित किया गया। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि

पत्रावली प्राचीन है, इसका निस्तारण यथाशीघ्र यथासंभव आदेश प्राप्ति की दिनांक से दो माह के भीतर किया जावे।

- 03. सेशन न्यायाधीश के आदेश में जो 2 माह के भीतर प्रकरण निस्तारण के निर्देश दिए गए, उससे व्यथित होकर ही यह याचिका प्रस्तुत की गई है।
- 04. याची द्वारा अपनी याचिका में यह निवेदन किया कि जो दो माह में प्रकरण निस्तारण का निर्देश दिया गया, वह विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दो माह में प्रकरण निस्तारण करने के हद तक आदेश निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।
- 05. बहस सुनी गई।
- 06. विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2002) 4 SCC 578 P. Ramachandra Rao Vs. State of Karnataka तथा इस न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत Best Practices for expeditious disposal of cases के संबंध में दिए गए निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन किया कि दो माह में प्रकरण निस्तारण करने बाबत जो आदेश दिया गया वह विधिसम्मत नहीं है। धारा 408 सीआर.पी.सी. के तहत सेशन न्यायालय को प्रकरण के विचारण की समय सीमा तय करने के अधिकार नहीं है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किसी प्रकरण की समय सीमा तय करने के अधिकार नहीं है। इस आधार पर अधीनस्थ नियायालय का दो माह में प्रकरण निस्तारण का आदेश निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।
- **07.** विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुए याची की याचिका आधारहीन होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया।
- **08.** मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
- 09. इस मामले में विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से जो पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) में वर्णित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 माननीय न्यायाधिपतिगण की पीठ का निर्णय है। जिसमें माननीय उच्च्तम न्यायालय के 6 माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा एक निर्णय दिया गया व माननीय उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधिपति द्वारा अलग निर्णय दिया गया।
- 10. इस मामले में The Prevention of Corruption Act के मामले में विचारण में दो साल हो जाने के आधार पर विशिष्ठ न्यायाधीश द्वारा माननीय उच्चतम

न्यायालय के निर्णयों "Common Cause" A Regd. Society through its Director Vs. Union of India & Ors. [(1996)4 SCC 33];"Common Cause" A Regd. Society through its Director Vs. Union of India &Ors. [(1996)6 SCC 775]; Raj Deo Sharma Vs. State of Bihar [(1998)7 SCC 507]and Raj Deo Sharma (II) Vs. State of Bihar [(1999)7 SCC 604] के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा सभी अपीलों के मुिल्जम को नोटिस दिए बिना अपीले स्वीकार कर ली गई। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला पेश हुआ, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधिपतिगण की पीठ द्वारा प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ को विचार हेतु रेफर किया गया कि The Prevention of Corruption Act के मामले व अन्य आर्थिक अपराधों के मामलों में Common Cause वाले मामले व Raj Deo Sharma वाले मामले लागू होते हैं या नहीं तथा जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में जो समय सीमा तय की गई है, वह विधिसम्मत है अथवा नहीं।

- 11. उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा विचार करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के Abdul Rehman Antulay & Ors vs R.S. Nayak & Anr (1992) 1 SCC 225 के संवैधानिक पीठ के केस पर विचार करने के उपरांत मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 माननीय न्यायाधिपतिगण की पीठ के द्वारा विचार हेतु नियत किया गया। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 माननीय न्यायाधिपतिगण की पीठ द्वारा इस मामले में विचार किया गया।
- 12. माननीय उच्चतम न्यायालय के पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) निर्णय के पैरा संख्या 9 में संवैधानिक पीठ के पूर्व के निर्णय Abdul Rehman Antulay (Supra) के मामले पर विचार किया गया और उस मामले के पैरा संख्या 86 में जो कुल 11 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उनका उल्लेख करते हुए गाईडलाइन 8 से 11 पर विचार किया गया। जिसमें गाईडलाइन 9 व 10 निम्नानुसार है:—
 - (9) Ordinarily speaking, where the court comes to the conclusion that right to speedy trial of an accused has been infringed the charges or the conviction, as the case may be, shall be quashed. But this is not the only course open. The nature of the offence and other circumstances in a given case may be such that quashing of proceedings may not be in the interest of justice. In such a case, it is open to the court to make such other appropriate order including an order to conclude the trial within a fixed time where the trial is not concluded or reducing the sentence where the

trial has concluded as may be deemed just and equitable in the circumstances of the case.

- (10) It is neither advisable nor practicable to fix anytime-limit for trial of offences. Any such rule is bound to be qualified one. Such rule cannot also be evolved merely to shift the burden of proving justification on to the shoulders of the prosecution. In every case of complaint of denial of right to speedy trial, it is primarily for the prosecution to justify and explain the delay. At the same time, it is the duty of the court to weigh all the circumstances of a given case before pronouncing upon the complaint.-----
- 13. माननीय उच्च्तम न्यायालय के द्वारा पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) वाले मामले में पैरा संख्या 29 में निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:—
 - (29) For all the foregoing reasons, we are of the opinion that in Common Cause case (I) (as modified in Common Cause (II)) and Raj Deo Sharma (I) and (II), the Court could not have prescribed periods of limitation beyond which the trial of a criminal case or a criminal proceeding cannot continue and must mandatorily be closed followed by an order acquitting or discharging the accused. In conclusion we hold:-
 - (1) The dictum in A.R. Antulay's case is correct and still holds the field.
 - (2) The propositions emerging from Article 21 of the Constitution and expounding the right to speedy trial laid down as guide lines in A.R. Antulay's case, adequately take care of right to speedy trial. We uphold and re-affirm the said propositions.
 - (3) The guidelines laid down in A.R. Antulay's case are not exhaustive but only illustrative. They are not intended to operate as hard and fast rules or to be applied like a strait-jacket formula. Their applicability would depend on the fact-situation of each case. It is difficult to foresee all situations and no generalization can be made.
 - (4) It is neither advisable, nor feasible, nor judicially permissible to draw or prescribe an outer limit for conclusion of all criminal proceedings. The time-limits or bars of limitation prescribed in the several directions made in Common Cause (I), Raj Deo Sharma (I) and Raj Deo Sharma (II) could not have been so prescribed or drawn and are not good law. The criminal courts are not obliged to terminate trial or criminal proceedings merely on account of lapse of time, as prescribed by the

directions made in Common Cause Case (I), Raj Deo Sharma case (I) and (II). At the most the periods of time prescribed in those decisions can be taken by the courts seized of the trial proceedings to act as reminders when they may be persuaded to apply their judicial mind to the facts and circumstances of the case before them and determine by taking into consideration theseveral relevant factors as pointed out in A.R. Antulay's case and decide whether the trial or proceedings have become so inordinately delayed as to be called oppressive and unwarranted. Such time-limits cannot and will not by themselves be treated by any Court as a bar to further continuance of the trial or proceedings and as mandatorily obliging the court to terminate the same and acquit or discharge the accused.

- (5) The Criminal Courts should exercise their available powers, such as those under Sections 309, 311 and 258 of Code of Criminal Procedure to effectuate the right to speedy trial. A watchful and diligent trial judge can prove to be better protector of such right than any guidelines. In appropriate cases jurisdiction of High Court under Section 482 of Cr.P.C. and Articles 226 and 227 of Constitution can be invoked seeking appropriate relief or suitable directions.
- (6) This is an appropriate occasion to remind the Union of India and the State Governments of their constitutional obligation to strengthen the judiciary-quantitatively and qualitatively by providing requisite funds, manpower and infrastructure. We hope and trust that the Governments shall act.
- 14. पैरा संख्या 32 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गया है:-
 - (32) Secondly, though we are deleting the directions made respectively by two and three-Judge Benches of this Court in the case sunder reference, for reasons which we have already stated, we should not, even for a moment, be considered as having made a departure from the law as to speedy trial and speedy conclusion of criminal proceedings of whatever nature and at whichever stage before any authority or the court.
- 15. पूर्व में किए गए विवेचन के मुताबिक विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा जो पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) वाला निर्णय प्रस्तुत किया गया है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के Abdul Rehman Antulay (Supra) निर्णय को सही ठहराया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीट के Abdul Rehman Antulay (पूर्वोक्त) के मामले व माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 माननीय न्यायाधिपतिगण की पीट के पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) के मामलों को संयुक्त रूप से विचार करने से यह स्पष्ट है कि केवल अपराधों के आधार पर समस्त मामलों के विचारण के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती। परंतु अभियुक्त का speedy trial का अधिकार है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक मामले के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार उस मामले में तय समय सीमा में विचारण पूर्ण करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि एक ही प्रकार के अपराधों के समस्त मुकदमों के निस्तारण के संबंध में एक निश्चित समयावधि तय नहीं की जा सकती। परंतु right to speedy trial of an accused को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, उस मामले में विचारण की निश्चित सीमा तय की जा सकती है।

- 16. ऐसी सूरत में विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए कि किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण के विचारण की समयाविध तय नहीं की जा सकती वह कर्ताई चलने योग्य नहीं है।
- जहां तक धारा 408 सीआर.पी.सी. के तहत सेशन न्यायालय द्वारा 17. समयावधि निश्चित की जा सकती है अथवा नहीं, उसका प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय के Abdul Rehman Antulay (Supra) के मामले में right to speedy trial of an accused के बारे में विस्तार से विचार किया गया है और प्रकरण निरस्त करना उचित नहीं समझने पर विचारण निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए जा सकने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) के मामले में पैरा संख्या 5 में न्यायालयों की शक्तियां धारा 309, 311 व 258 सीआर.पी.सी. का उल्लेख करते हुए विचारण न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करने के बारे में उल्लेख किया गया है और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा धारा ४८२ सीआर.पी.सी. के Articles 226 and 227 of Constitution के अधिकारों का प्रयोग कर निर्देश दिए जा सकने का उल्लेख किया गया है। इन दोनों मामलों में धारा 408 सीआर.पी.सी. के तहत सेशन न्यायालय को समयावधि निर्धारित करने की शक्तियां ना हो, ऐसा उल्लिखित नहीं है और पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) के मामले में जो पूर्व में गाईडलाइन 3 का उल्लेख किया गया है, उसके मुताबिक Abdul Rehman Antulay (Supra) के मामले में जो गाईडलाइन दी गई है, वह –? ''Exhaustive'' न होकर केवल ''Illustrative'' होना ही अंकित किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर ही आदेश किए जा सकते हैं।

- 18. हस्तगत मामले में अधीनस्थ सेशन न्यायालय द्वारा याची की प्रार्थना प्रकरण ट्रांसफर की स्वीकार करते हुए आदेश में वर्णितानुसार प्रकरण 2008 से लंबित होने के कारण पत्रावली प्राचीन होने से इसका निस्तारण यथाशीघ्र, यथासंभव आदेश प्राप्ति की दिनांक से दो माह के भीतर किए जाने का आदेश दिया गया है, इस आदेश में यथासंभव शब्द का उल्लेख किया गया है। ऐसे हालात में माननीय उच्चतम न्यायालय के पी. रामचन्द्रा राव (पूर्वोक्त) के मामले के आधार पर संबंधित प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों व प्रकरण पुराने होने की स्थिति तथा इस मामले में लिखित बहस याची की ओर से पूर्व में पेश की होने की स्थिति को देखते हुए, जो आदेश किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। याची की याचिका आधारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।
- 19. अतः याची की याचिका अन्तर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. खारिज की जाती है।
- 20. आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, बीकानेर को भेजी जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

21-mayank/-